ग्राम पंचायत बह, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के लेखाओं का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.21 से 31.03.23

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बह, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्र° सं°	नाम	अवधि
1	श्री पिरसहाय ठाकुर	01.04.2021 से लगातार

सचिव :-

क्र° सं°	नाम	अवधि
1	श्री किशोरी लाल	01-04-2021 से 09-07-2021
2	श्री भादर सिंह	10-07-2021 से 03-12-2021
3	श्री किशोरी लाल	04-12-2021 से 16-04-2022
4	श्रीमती राजकुमारी	01-04-2021 से 31-03-2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत बह के लेखाओं अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	**4.1**	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण अन्तर पाया जाना ।	**₹ 0.35**
2	05 (ख)	अनुदान राशि का उपयोग न करना	**₹ 09.11**
3	06	गृह कर न वसूलने बारे	**₹ 0.06**
4	07 (क)	आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती कम करने के कारण अधिक भुगतान करना	**₹ 0.09**
5	07 (ख)	क्रय की गई सामग्री से नियमानुसार वाइड्स (voids) की कटौती न करने के कारण संविदाकारों को अधिक भुगतान करना	**₹ 0.61**
6	07 (ग)	स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके वसूली न करना	**₹ 0.14**
7	08 (क)	नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	**₹ 0.14**
8	08 (ख)	आपूर्तिकर्ता से रेत व बजरी की खरीदी गयी मात्रा के स्पष्ट न होने के कारण अंकेक्षण संभव न होना ।	**₹ 10.89**

भाग- दो

2 (क) वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत बह, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री दलजीत कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक व रजिन्दर कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 23-11-2023 से 25-11-2023 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	10/21	03/22
2022-23	01/23	09/22

(ख) अस्वीकरण :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, उत्तरदायी नहीं होगा । विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित रहेगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत बह, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹ 3200/- आँका गया है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2023- दिनांक 25.11.2023 द्वारा अनुरोध किया गया है ।

4 वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत बह, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) **स्वः स्त्रौत व 5वां वित्त आयोग:-** ग्राम पंचायत बह, के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक की स्वः स्त्रौत व 5वां वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (क)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	0	672957	672957	119600	553357
2022-23	552257	183418	736775	486015	250760

(ii) **अनुदान :-** ग्राम पंचायत बह, के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ख)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	0	570000	570000	0	570000
2022-23	570000	1834250	2404250	2316157	88093

दिनांक 31.03.23 को सामान्य निधि व अनुदान का अन्तशेष **338853**

दिनांक 31.03.23 को बैंक में जमा व हस्तगत राशि का विवरण :-

Bank name	Account no.	Name of head	Closing balance as on 31.03.2023
H.P State cooperative bank,kunnu	34110109806	Own source & 5th state	268697
H.P State cooperative bank,kunnu	34110109807	MPLAD,VKVNY,BASP & other	95043
			363740

Bank Reconicilation as on 31 03-23		**363740**
Balance as per cash book		
Balance as per Pass book		**338853**
Net Difference		**24887**

(iii) 15 वाँ वित्त आयोग:- ग्राम पंचायत बह, के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक की 15 वाँ वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ग)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	0	435445	435445	0	435445
2022-23	435445	714941	1150386	326949	823437

बैंक समाधान विवरणी :-

Bank Reconicilation as on 31 03-23		
Balance as per cash book		823437
Balance as per Pass book a/c no. 3411019808		**833174**
Net Difference		**9737**

(iv) मनरेगा

वर्ष	**अथ शेष**	**प्राप्ति**	**ब्याज**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2021-22	0	274862	0	274862	274862	0
2022-23	0	4634329.59	0	4634329.59	4634329.59	0

4.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में ₹ 0.35 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है । जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तिम शेष में **₹ 34624** की राशि का अन्तर पाया गया। अत: मिलान करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत कराया जाये।

5. (क) पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय के लिये अलग बैंक खाते का संचालन न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) में पंचायत द्वारा दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु ग्राम पंचायत बह के लेखाओं की अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के संचालन हेतु 3 बैंक खाते खोले गये थे

और उपरोक्त नियम की अनुपालना में पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय हेतु खाता "क" का संचालन अलग से नहीं किया जा रहा था । अतः इस सन्दर्भ में उपयुक्त स्पष्टीकरण के अतिरिक्त उचित सुधारात्मक कार्यवाही नियमानुसार करते हुये अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये।

(ख) अनुदान ₹ 09.11 लाख का उपयोग न करना :-

सचिव ग्राम पंचायत बह द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.23 तक अनुदान ₹ 9,11,530 की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण **पैरा संख्या 4(ii), 4(iii)** में दिया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है । अतः वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना :-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि **01.04.2021** से **31.03.2023** के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम **2002** के नियम **31** की अवहेलना की गयी है ।

अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

6. पंचायत राजस्व गृह कर की देय राशि ₹ 0.06 लाख की वसूली न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम **1994** की धारा **100** तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम **2002** के नियम **32** के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर/गृहकर कर वसूली करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत बह के गृहकर की आय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट (घ)** अनुसार **₹6100** की वसूली नहीं की गई थी जिससे स्पष्ट है की पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नही है । अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया

राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

7. (क). आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती न करने के कारण ₹ 0.09 लाख का अधिक भुगतान करना

हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री विभाग की अधिसूचना संख्याः Ind-II(f)/6-14/2014-Vol-I दिनांक 10.02.2022 के अनुसार खनन सामग्री जैसे रेत/बजरी/पत्थर इत्यादि पर सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित था । विकास/निर्माण कार्य पर उपयोग की जाने वाली सामग्री (रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि) के लिए सप्लायर/आपूर्तिकर्ता माईनिंग अधिकारी से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा यदि वह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता है तो ग्राम पंचायत द्वारा बिल की अदायगी करते समय रॉयल्टी की कटौती करके राशि को राजकीय कोष के शीर्ष 0853-102-01-05 में जमा किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्य बिलों की जाँच में पाया गया कि कार्य स्थलों पर रेत बजरी, पत्थर का उपयोग किया गया था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा सप्लायर के बिल से न तो रॉयल्टी की कटौती की गई थी और न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था जिस कारण निम्न विवरणानुसार आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/संविदाकार को ₹8119 का अधिक भुगतान किया गया था । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	मात्रा CFT	मात्रा CUM	निर्धारित फैक्टर	मात्रा प्रति मीट्रिक टन	रॉयल्टी प्रति मीट्रिक टन	राशि (₹)
	मनरेगा									
1	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	014/28.04.22	बोल्डर	10000	0	10.00	2.24	22.40	80	1792
2	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू	191/26.04.22	बोल्डर	23000	0	23.00	2.24	51.52	80	4122

	तहसील पधर जिला मण्डी									
3	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	193/26.04.22	बोल्डर	10000	0	10.00	2.24	22.40	80	1792
6	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	159/07.02.22	रेत	9000	150	4.25	1.62	6.88	60	413
	कुल योग									**8119**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः-डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2023-145 दिनांक 25.11.23 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बह के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि रॉयल्टी के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः परामर्श दिया जाता है कि रॉयल्टी की कम वसूली गयी राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख). क्रय की गई सामग्री से नियमानुसार वाइड्स (voids) की कटौती न करने के कारण संविदाकारों को ₹ 0.61 लाख का अधिक भुगतान करना :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु क्रय की गई सामग्री पर निर्धारित दर से वाइड्स की कटौती नहीं की गई थी जबकि नियमानुसार रेत की आपूर्ति पर 5% बजरी की आपूर्ति पर 10 एमएम से लेकर 20 एमएम तक 5% तथा 20 एमएम से लेकर 40 एमएम तक 10% और पत्थरों की आपूर्ति पर 12.5% की दर से वाइड्स की कटौती की जानी अपेक्षित थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा क्रय सामग्री पर इस प्रकार की कोई भी कटौती नहीं की गई थी, जिस कारण आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/फर्म/संविदाकार को निम्न

विवरणानुसार ₹ 60274.20 का अधिक भुगतान किया गया था । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	मात्रा Cuf	मात्रा CUM	वाइड्स कटौती की दर	वाइड्स की मात्रा जिसका भुगतान किया गया	दर प्रति क्यूबिक मीटर	राशि (₹)
	manrega									
1	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	014/28.04.22	बोल्डर	10000	0	10.00	12.5%	1.250	1000	1250.00
2	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	191/26.04.22	बोल्डर	23000	0	23.00	12.5%	2.875	1000	2875.00
3	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	193/26.04.22	बोल्डर	10000	0	10.00	12.5%	1.250	1000	1250.00
4	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	159/07.02.22	रेत	9000	150	4.25	5%	0.212	2120	450.00
5	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	189/25.04.22	रेत & बजरी	96000	1600	45.28	5%	2.264	2120	4800.00
6	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री	190/25.04.22	रेत & बजरी	45000	750	21.23	5%	1.061	2120	2250.00

	डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी									
7	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	198/27.04.22	रेत & बजरी	9000	150	4.25	5%	0.212	2120	450.00
8	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	197/27.04.22	रेत & बजरी	9000	150	4.25	5%	0.212	2120	450.00
9	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	195/26.04.22	रेत & बजरी	27000	450	12.74	5%	0.637	2120	1350.00
10	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	199/28.04.22	रेत & बजरी	27000	450	12.74	5%	0.637	2120	1350.00
11	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	196/27.04.22	रेत & बजरी	27000	450	12.74	5%	0.637	2120	1350.00
12	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	013/28.04.22	रेत & बजरी	9000	150	4.25	5%	0.212	2120	450.00

13	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	188/25.04.22	रेत & बजरी	42000	700	19.81	5%	0.991	2120	2100.00
14	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	185/24.05.22	रेत & बजरी	134400	2240	63.39	5%	3.170	2120	6720.00
15	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	184/24.04.22	रेत & बजरी	69000	1150	32.55	5%	1.627	2120	3450.00
16	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	194/26.04.22	रेत & बजरी	69000	1150	32.55	5%	1.627	2120	3450.00
17	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	200/28.04.22	रेत & बजरी	76184	1270	35.94	5%	1.797	2120	3809.20
18	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	009/28.04.22	रेत & बजरी	9600	160	4.53	5%	0.226	2120	480.00
19	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर	008/28.04.22	रेत & बजरी	4800	80	2.26	5%	0.113	2120	240.00

	जिला मण्डी									
20	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	015/28.04.22	रेत & बजरी	12000	200	5.66	5%	0.283	2120	600.00
21	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	152/05.09.22	रेत & बजरी	36000	600	16.98	5%	0.849	2120	1800.00
22	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	154/06.02.22	रेत & बजरी	36000	600	16.98	5%	0.849	2120	1800.00
23	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	160/07.02.22	रेत & बजरी	9000	150	4.25	5%	0.212	2120	450.00
24	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	136/02.02.22	रेत & बजरी	18000	300	8.49	5%	0.425	2120	900.00
25	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	158/07.02.22	रेत & बजरी	18000	300	8.49	5%	0.425	2120	900.00
26	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री	153/04.02.22	रेत & बजरी	36000	600	16.98	5%	0.849	2120	1800.00

	डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी									
27	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	155/04.02.22	रेत & बजरी	36000	600	16.98	5%	0.849	2120	1800.00
28	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	151/05.02.22	रेत & बजरी	36000	600	16.98	5%	0.849	2120	1800.00
29	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	156/03.02.22	रेत & बजरी	36000	600	16.98	5%	0.849	2120	1800.00
30	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	150/05.02.22	रेत & बजरी	36000	600	16.98	5%	0.849	2120	1800.00
31	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	157/07.02.22	रेत & बजरी	36000	600	16.98	5%	0.849	2120	1800.00
32	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	142/04.02.22	रेत & बजरी	36000	600	16.98	5%	0.849	2120	1800.00

33	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	138/02.02.22	रेत & बजरी	36000	600	16.98	5%	0.849	2120	1800.00
34	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	140/03.02.22	रेत & बजरी	18000	300	8.49	5%	0.425	2120	900.00
										60274.20

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याःडी. के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2023-145 दिनांक 25.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बह के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि वाइड्स के रूप में कटौती नही की गयी राशि को वसूल कर के निधि में जमा करवा दिया जाएगा । अतः वाइड्स की कटौती/वसूली न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए ।

(ग). स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹0.14 लाख की वसूली न करना :-

सचिव ग्राम पंचायत बह द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 में विभिन्न फर्मो व व्यक्तियों को भुगतान किया गया था । लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹ 13999.84 की स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी । आयकर की धारा 194 (c) में विहित प्राबधान के अनुसार स्त्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र0 सं0	**आपूर्तिकर्ता**	**बिल संख्या / दिनांक**	**मद का नाम**	**भुगतान राशि**	**कटौती की दर**	**राशि (₹)**
	manrega					
1	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला	014/28.04.22	बोल्डर	10000	1.00%	100.00

	मण्डी					
2	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	191/26.04.22	बोल्डर	23000	1.00%	230.00
3	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	193/26.04.22	बोल्डर	10000	1.00%	100.00
4	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	159/07.02.22	रेत	9000	1.00%	90.00
5	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	189/25.04.22	रेत & बजरी	96000	1.00%	960.00
6	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	190/25.04.22	रेत & बजरी	45000	1.00%	450.00
7	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	198/27.04.22	रेत & बजरी	9000	1.00%	90.00
8	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	197/27.04.22	रेत & बजरी	9000	1.00%	90.00
9	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	195/26.04.22	रेत & बजरी	27000	1.00%	270.00
10	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	199/28.04.22	रेत & बजरी	27000	1.00%	270.00
11	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	196/27.04.22	रेत & बजरी	27000	1.00%	270.00

12	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	013/28.04.22	रेत & बजरी	9000	1.00%	90.00
13	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	188/25.04.22	रेत & बजरी	42000	1.00%	420.00
14	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	185/24.05.22	रेत & बजरी	134400	1.00%	1344.00
15	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	184/24.04.22	रेत & बजरी	69000	1.00%	690.00
16	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	194/26.04.22	रेत & बजरी	69000	1.00%	690.00
17	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	200/28.04.22	रेत & बजरी	76184	1.00%	761.84
18	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	009/28.04.22	रेत & बजरी	9600	1.00%	96.00
19	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	008/28.04.22	रेत & बजरी	4800	1.00%	48.00
20	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	015/28.04.22	रेत & बजरी	12000	1.00%	120.00
21	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	152/05.09.22	रेत & बजरी	36000	1.00%	360.00
22	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री	154/06.02.22	रेत &	36000	1.00%	360.00

	डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी		बजरी			
23	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	160/07.02.22	रेत & बजरी	9000	1.00%	90.00
24	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	136/02.02.22	रेत & बजरी	18000	1.00%	180.00
25	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	158/07.02.22	रेत & बजरी	18000	1.00%	180.00
26	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	153/04.02.22	रेत & बजरी	36000	1.00%	360.00
27	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	155/04.02.22	रेत & बजरी	36000	1.00%	360.00
28	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	151/05.02.22	रेत & बजरी	36000	1.00%	360.00
29	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	156/03.02.22	रेत & बजरी	36000	1.00%	360.00
30	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	150/05.02.22	रेत & बजरी	36000	1.00%	360.00
31	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	157/07.02.22	रेत & बजरी	36000	1.00%	360.00
32	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला	142/04.02.22	रेत & बजरी	36000	1.00%	360.00

	मण्डी					
33	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	138/02.02.22	रेत & बजरी	36000	1.00%	360.00
34	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	140/03.02.22	रेत & बजरी	18000	1.00%	180.00
35	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	189/25.04.22	पत्थर(कट स्टोन)	20000	1.00%	200.00
36	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	190/25.04.22	पत्थर(कट स्टोन)	5000	1.00%	50.00
37	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	012/28.09.22	पत्थर(कट स्टोन)	30000	1.00%	300.00
38	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	014/28.04.22	पत्थर(कट स्टोन)	15000	1.00%	150.00
39	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	200/28.04.22	पत्थर(कट स्टोन)	30000	1.00%	300.00
40	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	010/28.04.22	पत्थर(कट स्टोन)	5000	1.00%	50.00
41	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	135/03.02.22	पत्थर(कट स्टोन)	30000	1.00%	300.00
42	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	134/02.05.22	पत्थर(कट स्टोन)	30000	1.00%	300.00

43	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	161/08.02.22	पत्थर(कट स्टोन)	30000	1.00%	300.00
44	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	145/04.02.22	पत्थर(कट स्टोन)	25000	1.00%	250.00
45	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	143/04.02.22	पत्थर(कट स्टोन)	12000	1.00%	120.00
46	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	141/03.02.22	पत्थर(कट स्टोन)	7000	1.00%	70.00
47	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	139/02.02.22	पत्थर(कट स्टोन)	20000	1.00%	200.00
						13999.84

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः-डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/ एस.ए.डी./2023-145 दिनांक 25.11.23 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बह के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि आयकर के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः स्त्रोत पर आयकर की कटौती/वसूली न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

(घ) वितीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत करवाए गए निर्माण कार्यों में निर्धारित सीमा से मजदूरी पर राशि ₹ 08.87 लाख कम व सामान पर राशि ₹ 08.87 लाख ज्यादा व्यय करना :-

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 2005, के नियम 1.2 के अनुसार मजदूरी व सामान पर 60:40 के अनुपात में व्यय किया जाएगा। अभिलेख की जाँच करने पर

पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत सामान/निर्माण सामग्री पर व्यय योग्य राशि ₹ 19.63 लाख की जगह ₹ 28.50 लाख व्यय करके, अपेक्षित व्यय योग्य राशि से ₹ 08.87 लाख ज्यादा व्यय व मजदूरी पर व्यय योग्य राशि ₹29.44 लाख की जगह ₹20.57 लाख व्यय करके, अपेक्षित व्यय योग्य राशि से ₹ 08.87 लाख कम व्यय किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	**कुल व्यय**	**मजदूरी पर व्यय**	**मजदूरी पर व्यय योग्य राशि (कुल व्यय का @ 60%)**	**सामान पर व्यय**	**सामान पर व्यय योग्य राशि (कुल व्यय का @ 40%)**
	(लाखों में)	**(लाखों में)**	**(लाखों में)**	**(लाखों में)**	**(लाखों में)**
2021-22	2.74	2.74	1.64	0	1.1
2022-23	46.34	17.83	27.8	28.5	18.53
कुल आय	**49.08**	**20.57**	**29.44**	**28.5**	**19.63**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2023-145 दिनांक 25.11.23 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत बह के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि निर्धारित सीमा से अधिक किये गए व्यय को निर्धारित सीमा के अंतर्गत ही व्यय किया जाएगा। अतः वितीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 2005, के नियम 1.2 के अनुसार मजदूरी व सामान पर 60:40 के अनुपात में व्यय न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सामान पर निर्धारित सीमा से राशि **₹** 08.87 ज्यादा व मजदूरी पर निर्धारित सीमा से राशि **₹** 08.87 लाख कम व्यय करने हेतु सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृत प्राप्त करके अनियमित व्यय को नियमित करवाया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8. (क) नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.14 लाख का निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। परन्तु अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि

पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 में ₹13685 की निर्माण से सम्बन्धित सामग्री का क्रय नियमानुसार निविदा/कोटेशन सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसके अभाव में यह ज्ञात करना संभव नहीं है कि उक्त वर्ष में विभिन्न सामग्री की क्रय दर कितनी थी तथा जिस मूल्य पर खरीद की गयी थी उसके संबंध में उचित अभिलेख न होने के कारण निम्न विवरणानुसार क्रय की गयी सामग्री पर किए गए व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता है जोकि पंचायत निधि के धन के दुरुपयोग को भी दर्शाता है । जिसका विवरण इस प्रकार से है:-

क्रम संख्या	**बिल संख्या/दिनांक**	**शीर्ष**	**आपूर्तिकर्ता**	**मद का नाम**	**भुगतान राशि (₹)**
1	1586/11.04.21	सामान्य निधि	चतुर्भुज ऑफसेट प्रिंटिंग प्रैस नजदीक एसबीआई बैंक पधर,तहसील पधर जिला मण्डी	स्टेशनरी आइटम	8250
2	1588/11.04.21	सामान्य निधि	चतुर्भुज ऑफसेट प्रिंटिंग प्रैस नजदीक एसबीआई बैंक पधर,तहसील पधर जिला मण्डी	स्टेशनरी आइटम	5435
					13685

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2023-145 दिनांक 25.11.23 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत बह के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नही जाएगा । उत्तर संतोषजनक नही था अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्ष 2021-22 व 2022-23 में किए गए व्यय की उचित कार्यवाही करके जाँच की जाए तथा इसे उचित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए वस्तुओं/सामग्री का क्रय करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) आपूर्तिकर्ता से रेत व बजरी की खरीदी गयी मात्रा के स्पष्ट न होने के कारण ₹10.89 लाख का अंकेक्षण संभव न होना :-

ग्राम पंचायत बह की अवधि 01-04-21 से 31-03-23 के अंकेक्षण के दौरान मनरेगा व अन्य व्यय वाउचरों की जाँच में पाया गया कि आपूर्तिकर्ता द्वारा रेत व बजरी के **₹1088984** के प्रस्तुत बिल में रेत व बजरी की मात्रा को अलग-अलग न करके एक साथ जोड़ कर बिल प्रस्तुत किया गया था जबकि पंचायत के स्टॉक रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टि की जाँच में भी उपरोक्त सामग्री को एक साथ ही लिया गया था तथा न ही कार्यों में प्रयोग होने वाली सामग्री का मांग पत्र प्रस्तुत किया गया । जिससे कि यह स्पष्ट करना संभव नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों के लिए कितनी रेत व बजरी की मात्रा जारी की गयी थी । जोकि गंभीर अनियमितता को दर्शाता है तथा मनरेगा व अन्य अनुदानों के दुरुपयोग की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है । जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्र0 सं0	**आपूर्तिकर्ता**	**बिल संख्या /दिनांक**	**मद का नाम**	**मात्रा CUF**	**भुगतान राशि (₹)**
	manrega				
1	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	189/25.04.22	रेत & बजरी	1600	96000
2	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	190/25.04.22	रेत & बजरी	750	45000
3	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	198/27.04.22	रेत & बजरी	150	9000
4	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	197/27.04.22	रेत & बजरी	150	9000
5	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला	195/26.04.22	रेत & बजरी	450	27000

	मण्डी				
6	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	199/28.04.22	रेत & बजरी	450	27000
7	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	196/27.04.22	रेत & बजरी	450	27000
8	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	013/28.04.22	रेत & बजरी	150	9000
9	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	188/25.04.22	रेत & बजरी	700	42000
10	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	185/24.05.22	रेत & बजरी	2240	134400
11	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	184/24.04.22	रेत & बजरी	1150	69000
12	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	194/26.04.22	रेत & बजरी	1150	69000
13	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	200/28.04.22	रेत & बजरी	1270	76184
14	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	009/28.04.22	रेत & बजरी	160	9600
15	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	008/28.04.22	रेत & बजरी	80	4800

16	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	015/28.04.22	रेत & बजरी	200	12000
17	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	152/05.09.22	रेत & बजरी	600	36000
18	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	154/06.02.22	रेत & बजरी	600	36000
19	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	160/07.02.22	रेत & बजरी	150	9000
20	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	136/02.02.22	रेत & बजरी	300	18000
21	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	158/07.02.22	रेत & बजरी	300	18000
22	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	153/04.02.22	रेत & बजरी	600	36000
23	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	155/04.02.22	रेत & बजरी	600	36000
24	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	151/05.02.22	रेत & बजरी	600	36000
25	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	156/03.02.22	रेत & बजरी	600	36000
26	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री	150/05.02.22	रेत & बजरी	600	36000

	डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी				
27	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	157/07.02.22	रेत & बजरी	600	36000
28	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	142/04.02.22	रेत & बजरी	600	36000
29	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	138/02.02.22	रेत & बजरी	600	36000
30	जय सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव श्री डाकघर कुन्नू तहसील पधर जिला मण्डी	140/03.02.22	रेत & बजरी	300	18000
					1088984

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2023-145 दिनाँक 25.11.23 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बह के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रत्युतर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि बिल में रेत व बजरी की मात्रा को अलग नहीं दिखाया गया था जिसे ध्यान में रखा जाएगा व इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा । उत्तर संतोषजनक नहीं है अत: उपरोक्त अनियमितता का नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सामग्री जारी करने तथा उपयोग करने से संबन्धित दस्तावेज़ प्रस्तुत कर के अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

09. (क) बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने

के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ग).विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

क्र. स.	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**सन्दर्भित नियम**
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
5	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
6	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
7	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	------	31
8	बिल रजिस्टर	13	48

अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9. प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10. लघु आपति विवरणिका:-यह अलग से जारी नहीं की गई है।

11. निष्कर्ष:-लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

01 FEB 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 31.01.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

606 - 610 का0/प्रति

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(11) 144/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी, हि0प्र0।
5. (पंजीकृत) सचिव, ग्राम पंचायत बह, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

01 FEB 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 31.01.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

का0/प्रति

परिशिष्ट –"क"

18

Financial position of Own Sources & 5th state of Gram Panchyat bah					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2021-22	0	672957	672957	119600	553357
2022-23	553357	183418	736775	486015	250760

Bank Reconicilation as on 31 03-23			
Balance as per cash book	250760		
Balance as per Pass book	268697		
Net Difference	**17937**		

Sec.
Gram Panchyat Bah
Dev. Block Drang
Distt. Mandi (H.P.)

28

(19)

परिशिष्ठ - "ड"

Financial position of 15 th FCof Gram Panchyat BAH					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2021-22	0	435445	435445	0	435445
2022-23	435445	714941	1150386	326949	823437

Bank Reconicilation as on 31 03-23			
Balance as per cash book	**823437**		
Balance as per Pass book	833174		
Net Difference	**9737**		

(29)

Sec.
Gram Panchyat Bah
Dev. Block Drang
Distt. Mandi (H.P.)

परिशिष्ठ -"ख"

Financial position of other grants of Gram Panchyat bah					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2021-22	0	570000	570000	0	570000
2022-23	570000	1834250	2404250	2316157	88093

Sec.
Gram Panchyat Bah
Dev. Block Drang
Distt. Mandi (H.P.)

Detail of House Tax wef 01.04.21 to 21.03.2023 of GP BAH

Year	Opening balance	Current demand	Balance	Received	Closing balance
2021-22	o	8050	8050	0	8050
2022-23	8050	8050	16100	10000	6100

Sec.
Gram Panchyat Bah
Dev. Block Drang
Distt. Mandi (H.P.)